अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

विविध वाद संख्या– 10 /2023-24

फिलीप
नाम – इस्माइल देवगम,
पिता/पति– केदार देवगम,
ग्राम– पेन्दरगड़िया।

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
9/5/023	फिलीप आवेदक ~~इस्माइल~~ देवगम पिता– केदार देवगम, ग्राम– पेन्दरगड़िया, पो०– काठमारी, थाना– मंझारी के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत हेतु आवेदन प्राप्त है। ग्रामीण मुण्डा/राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 24/5/023 को उपस्थापित करें। 09/05/23 अंचल अधिकारी तांतनगर।	
24/5/023	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, उनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौजा– पेन्दरगड़िया, थाना नं०– 160 का खतियान खाता सं०– 52 का जाँच किया, जिसमें जाति क्रिस्तान दर्ज है। परन्तु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली की सूची में क्रिस्तान जाति कहीं भी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि खतियान में जाति दर्ज करते समय सममवत: त्रृटि हुई है। जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि वे अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत "हो" उपजाति के सदस्य है। ग्रामीण मुण्डा एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है कि आवेदक "हो" उपजाति के सदस्य है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा०नि० 03/15/2015/का० 1754 दिनांक– 25/02/2019 के कंण्डिका 13 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन कर जाति का सत्यापन करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अत: कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा०नि० 03/15/2015/का० 1754 दिनांक– 25/02/2019 के कंण्डिका 13 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में ग्रामीण मुण्डा को आवेदक जाति सत्यापन हेतु ग्राम सभा करने के लिए सूचित करें एवं इसकी प्रतिलिपी संबंधित मुखिया दें, राजस्व उपनिरीक्ष, अंचल निरीक्षक से प्रपत्र 14 में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं सर्वसाधारण सूचना निर्गत करते हुए दिनांक 07/06/23 तक अपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 07/06/23 को उपस्थापित करें।करें। 24/05/23 अंचल अधिकारी तांतनगर।	

<u>अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

आवेदक फिलीप देवगम, पिता– केदार देवगम, ग्राम– पेन्दरगड़िया, पो०– काठभारी, थाना– मंझारी के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत हेतु प्राप्त आवेदन का ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच किया गया, उनके जॉच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौजा– पेन्दरगाड़िया, थाना नं०– 160 का खतियान खाता सं०– 52 में जाति क्रिस्तान दर्ज है। परन्तु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली की सूची में क्रिस्तान जाति कहीं भी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि खतियान में जाति दर्ज करते समय सम्भवतः त्रुटि हुई है। जॉच के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि वे अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत "हो" उपजाति के सदस्य है। ग्रामीण मुण्डा एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है कि आवेदक "हो" उपजाति के सदस्य है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा०नि० 03/15/2015/का० 1754 दिनांक– 25/02/2019 के कण्डिका 13 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कारवाई प्रारम्भ की गई, ग्रामीण मुण्डा को आवेदक का जाति सत्यापन करने हेतु ग्राम सभा करने के लिए सूचित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित मुखिया को भी दी गई, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक से भी विहित प्रपत्र 14 में जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं सर्वसाधारण सूचना निर्गत करते हुए दिनांक– 07.06.2023 तक अपत्ति की मांग की गई।

विहित प्रपत्र– 14 में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन, ग्राम सभा की कार्यवाही, सर्वसाधारण सूचना तामिला प्रतिवेदन दिनांक– 07.06.2023 को प्राप्त हुआ। ग्राम सभा के प्रतिवेदन के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक– 198, दिनांक– 03.04.2023 के आलोक में दिनांक– 01.05.2023 को ग्राम सभा की गई, जिसमें प्रस्ताव सं० 01 में मौजा– पेन्दरगड़िया के खाता सं०– 52 के वंशजों का जाति एवं कुर्सीनामा सत्यापन किया गया। खाता सं०– 52 में खतियानी रैयत मटीन क्रिस्तान, पिता– नतनियल क्रिस्तान का नाम दर्ज है। ग्राम सभा द्वारा सत्यपित कुर्सीनामा में आवेदक फिलीप देवगम खतियानी रैयत नयनियल क्रिस्तान के वंशवृक्ष के अन्तर्गत आते है, खतियानी रैयत माटीन क्रिस्तान आवेदक के परदादा है। ग्राम सभा द्वारा आवेदक फिलीप देवगम, पिता– केदार देवगम को 'हो' उपजाति का सत्यापन किया गया एवं अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' उपजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव पारित की गई, जिसमें सर्वसाधारण द्वारा कोई अपत्ति भी नहीं की गई, ग्राम सभा द्वारा सत्यापित कुर्सीनामा इस प्रकार है :–

<u>कुर्सीनामा</u>

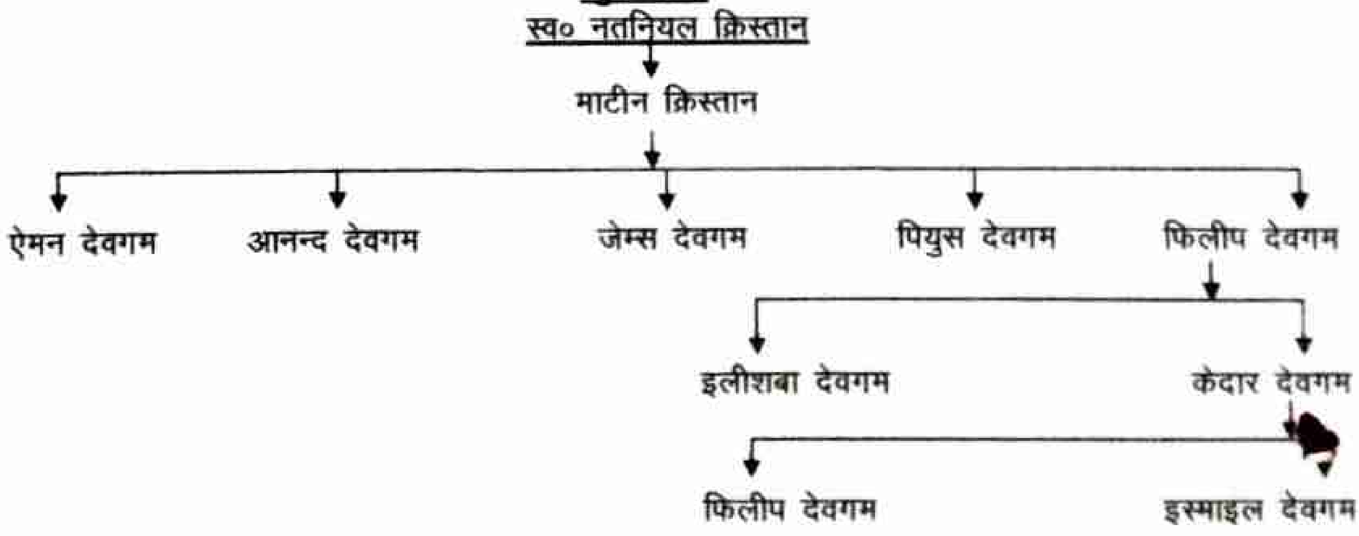

विहित प्रपत्र– 14 में अंचल निरीक्षक के द्वारा आवेदक को 'हो' उपजाति का सत्यापन करते हुए अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' उपजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुशंसा किया गया एवं ग्राम सभा द्वारा सत्यापित कुर्सीनामा अंचल निरीक्षक के द्वारा भी सत्यापित किया गया है। विहित प्रपत्र– 14 के बिन्दु 12 में आवेदक के पिता केदार देवगम का अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, सदर, चाईबासा के पत्रांक– 637, दिनांक– 04/07/2005 द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें उपजाति 'हो' दर्ज है। प्रपत्र– 14 के बिन्दु 14 में पाँच रैयत राउतू सोय, मधु सुन्डी, सुन्दर गोप, कृष्णा हेम्बरोम एवं मानुएल हेम्बरोम के द्वारा आवेदक के 'हो' उपजाति के संबंध में गवाई भी दी है। ग्राम सभा का कार्यवाही, ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं जाति सत्यापन से सन्तुष्ट होने के पश्चात् इस कार्यालय के विविध वाद सं०– 10/2023–24 में दिनांक– 07/06/2023 को आवेदक फिलीप देवगम, पिता– केदार देवगम को अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' उपजाति का जाति सत्यापन किया जाता है।

10/06/23

अंचल अधिकारी
तांतनगर।

ज्ञापांक– 308 दिनांक– 10/06/2023

प्रतिलिपि :– फिलीप देवगम को सूचनार्थ प्रेषित।

10/06/23

अंचल अधिकारी
तांतनगर।

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.13 12:09:52 +05:30
Location: 192.168.158.171